<u>एनएचडीसी राजभाषा शील्ड योजना - 02</u>

परियोजनाओं/कार्यालयों से सूचना मंगवाने हेतु मूल्यांकन प्रोफार्मा

(अवधि 01 अप्रैल, ... से 31 मार्च, ... तक)

नोट:

1. कृपया प्रोफार्मा के प्रत्येक कॉलम को ध्यानपूर्वक पढ़कर सूचना दें और कोई भी कॉलम अधूरा न छोड़ा जाए।
2. जहॉ लागू न हो, वहॉ, **'लागू नहीं'** लिख दें।
3. कृपया राजभाषा शील्ड योजना-02 की रिपोर्ट वर्ष के दौरान भेजी गई चारों तिमाही रिपोर्टों के आधार पर तैयार की जाए और मदवार पुष्टि के लिए नमूने (छायाचित्र, फोटोकॉपी) अनुलग्नकों में अवश्य संलग्न करें।
4. राजभाषा शील्ड योजना-02 प्रोफार्मा में गलत आंकड़े भरे जाने पर प्रत्येक गलत मद से 02 अंक काटे जाएंगे।
5. यदि मूल्यांकन समिति जरूरी समझेगी, तो आंकड़ों की जॉच-पड़ताल के लिए परियोजना और कार्यालय से रिकॉर्ड मंगवा सकती है।
6. यदि कोई 'कॉलम' सूचना देने के लिए अपर्याप्त है तो अलग से शीट संलग्न कर पूरी सूचना दें।
7. **यदि किसी परियोजना/कार्यालय द्वारा उक्त प्रोत्साहन योजना से संबंधित किसी भी रिपोर्ट में राजभाषा अधिनियमों व नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसे पुरस्कार की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।**

परियोजना/कार्यालय का नाम :

परियोजना/कार्यालय प्रमुख का नाम :

पदनाम :

फोन व फैक्स नंबर :

1	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन (इस मद का शत प्रतिशत अनुपालन न होने की दशा में कोई अंक नहीं मिलेगा साथ ही कुल प्राप्तांक में से 10 अंक काट लिए जाएंगे)	10 अंक	कुल कागजात	द्विभाषी	अंग्रेजी	प्रतिशत
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों की स्थिति (इस मद का शत-प्रतिशत अनुपालन न होने की दशा में कोई अंक नहीं मिलेगा साथ ही कुल प्राप्तांक में से 5 अंक काट लिए जाएंगे)	10 अंक	हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे।
3	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)	10 अंक	अंग्रेजी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए	प्रतिशत
	क' क्षेत्र					
	'ख' क्षेत्र					
4	मूल रूप से हिंदी में पत्राचार 'क' 'ख' व 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को भेजे गए पत्र। (इसमें मेडिकल, छुट्टी आवेदन, प्रतिपूर्ति बिल, अनुमति पर्ची आदि को शामिल किए जाए)	45 अंक	कुल पत्राचार	हिंदी में प्रेषित पत्र	अंग्रेजी में प्रेषित पत्र	प्रतिशत

5	फाइलों पर हिंदी में कार्य	10 अंक	04 तिमाहियों के दौरान लिखी गई कुल टिप्पणियों के पृष्ठों की की संख्या	हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या	अंग्रेजी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या	हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों का प्रतिशत
6	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें (प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान 04 बैठकों का आयोजन अनिवार्य है) नोट: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की आयोजित बैठकों की फोटो सहित रिपोर्ट/फोटो स्टेट (हस्ताक्षरित प्रति) अनिवार्य रूप से संलग्न करें। ऐसा न होने पर अंक नहीं दिए जाएंगे।	12 अंक	आयोजित बैठकों की कुल संख्या	आयोजन की तारीख	किसकी अध्यक्षता में	उपस्थितों की संख्या

7	तिमाही प्रगति रिपोर्ट पूरी सूचना सहित निर्धारित समय पर उपलब्ध कराना	08 अंक	तिमाही	उपलब्ध कराने की निर्धारित तारीख	परियोजना/ कार्यालय से भेजे जाने की वास्तविक तारीख
			अप्रैल- जून		
			जुला- सित.		
			अक्टू.-दिस.		
			जन.-मार्च		

8	अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की स्थिति ('घ' श्रेणी को छोड़कर)						
		कुल संख्या	05 अंक	हिंदी में प्रवीणता प्राप्त	कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त	प्रशिक्षण अधीन	प्रशिक्षण के लिए शेष
	अधिकारी						
	कर्मचारी						

9	हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में सहभागिता	10 अंक	परियोजना/ कार्यालय के कार्मिकों की कुल संख्या	सहभागिता करने वाले कार्मिकों की संख्या	प्रतियोगिताओं के नाम	प्रतिशत
10	द्विभाषी कम्प्यूटरों की उपलब्धता	10 अंक	कुल संख्या	द्विभाषी	केवल अंग्रेजी में	
11	हिंदी पुस्तकों की खरीद **(इसमें हिंदी पखवाड़े के दौरान खरीदी गई हिंदी पुस्तकों को भी शामिल करें।)**	10 अंक	वर्ष के दौरान खरीदी गई पुस्तकों पर कुल व्यय	कुल व्यय में से हिंदी पुस्तकों पर व्यय	प्रतिशत	
12	(क) द्विभाषी रबर की मोहरें	05 अंक	कुल संख्या	द्विभाषी	अंग्रेजी में	प्रतिशत
	(ख) द्विभाषी नामपट्ट	05 अंक				
13	(क) टंकण प्रशिक्षण	05 अंक	कुल सहा/टंकक	हिंदी टायपिंग में प्रशिक्षित	प्रशिक्षण के लिए शेष	प्रशिक्षित सहायकों का प्रतिशत
	(ख) आशुलिपि प्रशिक्षण	05 अंक	कुल आशुलिपिक	हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित	प्रशिक्षण के लिए शेष	प्रशिक्षित आशुलिपिकों का प्रतिशत
14	मूल रूप से हिंदी में काम करने के लिए लागू प्रोत्साहन योजनाओं में भागीदारी (यदि स्थान कम हो तो अलग से कागज पर ब्यौरा संलग्न करें)	10 अंक	कुल कार्मिक ('घ' श्रेणी को छोड़कर)	प्रोत्साहन योजना का नाम	भाग लेने वाले कार्मिकों की संख्या	प्रतिशत

<table>
<tr><td rowspan="2">15</td><td rowspan="2">हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन
नोट: हिंदी कार्यशाला आयोजन की फोटो सहित रिपोर्ट/फोटोस्टेट हस्ताक्षरित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें ऐसा न होने पर अंक नहीं दिए जाएंगे।</td><td rowspan="2">10 अंक</td><td>वर्ष के दौरान आयोजित कार्यशालाओं की कुल संख्या</td><td>कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या</td><td>कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों की तुलना में प्रशिक्षित कार्मिकों का प्रतिशत</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">16</td><td rowspan="3">हिंदी ज्ञान रोस्टर का अद्यतन किया जाना।</td><td rowspan="3">05 अंक</td><td colspan="2">अनुपालन की स्थिति</td><td>अद्यतन किए जाने की तारीख</td></tr>
<tr><td colspan="2">हॉ/नहीं</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">यदि नहीं तो कारण का उल्लेख करें।</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">17</td><td rowspan="2">परियोजना/कार्यालय स्तर पर अधीनस्थ विभागों का आंतरिक राजभाषा निरिक्षण किया जाना।</td><td rowspan="2">05 अंक</td><td>विभागों की कुल संख्या</td><td>कुल की तुलना में निरीक्षण किए गए विभागों की संख्या ☆</td><td>प्रतिशत</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">☆ विभागवार निरीक्षण की तारीख व निरीक्षणकर्ता अधिकारी का उल्लेख अलग पृष्ठ पर दें।</td></tr>
<tr><td>18</td><td>विशेष उपलब्धियाँ</td><td>10 अंक</td><td colspan="3">कृपया मूल्यांकन मानदंड की मद संख्या 12 के अनुसार सूचना दें।</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>200 अंक</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

परियोजना/कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर :

नाम :

पदनाम :

दूरभाष संख्या :

दिनांक :

------------------------------xxx---------------------------

एनएचडीसी राजभाषा शील्ड योजना-02

(परियोजनाओं/कार्यालयों हेतु)

नियमावली

1.0 : शीर्षक:

1.1 : इस योजना को 'एनएचडीसी राजभाषा शील्ड योजना' कहा जाएगा।

2.0 : उद्देश्य:

2.1 : इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में निगम के विभिन्न विभागों/परियोजनाओं/कार्यालयों में पदस्थ कार्मिकों को सरकारी काम काज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना तथा उनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा की भावना जागृत करना है।

3.0 : योजना की व्याप्ति:

3.1 : यह योजना निगम मुख्यालय के विभागों सहित निगम की सभी परियोजनाओं/ कार्यालयों पर लागू होगी।

4.0 : अवधि:

4.1 : इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के दौरान निगम मुख्यालय के विभागों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य का आंकलन किया जाएगा।

5.0 : पात्रता:

5.1 : निगम मुख्यालय के सभी विभाग इस योजना में भाग ले सकते हैं।

6.0 : मूल्यांकन मानदंड:

6.1 : राजभाषा शील्ड योजना के अन्तर्गत पुरस्कारों का निर्णय निम्नांकित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा:

क्र.सं.	मद विवरण	निर्धारित अंक	स्पष्टीकरण
01	राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन	10	इस मद के अंतर्गत विनिर्दिष्ट- सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां/टिप्पणियां, संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडर के फार्म और नोटिस, संकल्प, नियम, संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज-पत्र (रिपोर्टों के अलावा), संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्टें तथा प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें(संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अलावा) सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करने अनिवार्य होते हैं। इसका पूरा अनुपालन करने पर पूरे अंक मिलेंगे किंतु उल्लंघन होने पर कोई अंक नहीं मिलेगा साथ ही कुल प्राप्त अंकों में से भी 10 अंक दण्ड स्वरूप काट लिए जाएंगे।

02	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर	10	हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में ही दिए जाने अपेक्षित हैं। अतः हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाने की स्थिति में, इस नियम का उल्लंघन होने पर कोई अंक नहीं मिलेगा। साथ ही कुल प्राप्त अंकों में से भी 5 अंक दण्ड स्वरूप काट लिए जाएंगे।
03	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)	10	शतप्रतिशत हिंदी में जवाब दिए जाने की स्थिति में पूरे अंक अर्थात 10 अंक दिए जाएंगे यदि शतप्रतिशत जवाब हिंदी में नहीं दिए गए हैं तो उनकी प्रतिशतता के आधार पर 10 में से अंक प्रदान किए जाएंगे।
04	मूल रूप से हिंदी में पत्राचार	45	भारत सरकार द्वारा 'क' 'ख' व 'ग' क्षेत्रों के लिए हिंदी पत्राचार हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुपालन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इस संबंध में मूल रूप से हिंदी में पत्राचार के प्रतिशत (20 अंक), हिंदी पत्राचार की मात्रा (पत्रों की संख्या) (20 अंक) व हिंदी पत्राचार में प्रति तिमाही में प्रगति के लिए (5 अंक) यथा कुल 45 अंक रखे गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है: -(क) पत्राचार का प्रतिशत: - 'क' 'ख' व 'ग' क्षेत्रों के लिए निर्धारित शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने पर 20 अंक दिए जाएंगे या प्राप्त प्रतिशत के अनुपात में 20 में से अंक दिए जाएंगे। (ख) पत्राचार की मात्रा: - हिंदी में भेजे गए पत्रों की संख्या के लिए भी 20 अंक रखे गए हैं। वर्ष के दौरान विभागों द्वारा हिंदी में प्रेषित पत्रों की न्यूनतम संख्या 1000 होनी चाहिए, जिसके लिए 20 अंकों का 50 प्रतिशत यानि 10 अंक दिए जाएंगे। न्यूनतम 1000 पत्रों के बाद प्रत्येक 100 पत्रों के लिए 01 अंक (अधिकतम 10 अंक तक दिये जाएंगे) अगर परियोजना/कार्यालय ने शत प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया है तो उसे उक्त के अलावा बोनस के तौर पर 10 अंक दिए जाएंगे। (ग) पत्राचार में प्रगति - वर्ष के दौरान हिंदी पत्राचार में प्रगति के लिए 05 अंक रखे गए हैं। प्रत्येक तिमाही में हिंदी पत्राचार में हुई वृद्धि के लिए संबंधित परियोजना/कार्यालय को 01.25 अंक दिया जाएगा। पत्राचार के प्रतिशत में वृद्धि न होने पर कोई अंक नहीं मिलेगा। शील्ड योजना के तहत प्रेषित रिपोर्टों की जांच संबंधित परियोजना/कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान भेजी गई चारों तिमाही प्रगति रिपोर्टों के परिप्रेक्ष्य में की जाएगी तथा उसमें

			किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर अंक नहीं दिए जाएंगे।
05	फाइलों पर हिंदी में कार्य	10	वित्त वर्ष के अंतर्गत 04 तिमाहियों में फाइलों पर कुल लिखी गई टिप्पणियों का न्यूनतम 75 प्रतिशत हिंदी में होने पर ही पूरे अंक प्रदान किए जाएंगे। 75 प्रतिशत से कम नोटिंग लिखे जाने पर उनकी प्रतिशतता के आधार पर 10 में से अंक प्रदान किए जाएंगे।
06	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन	12	प्रत्येक तिमाही में परियोजना/कार्यालय प्रमुख की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन करने पर प्रत्येक तिमाही के लिए 02 अंक के आधार पर अंक दिए जाएंगे अर्थात वर्ष में 4 बैठकें आयोजित कर फोटो सहित रिपोर्ट निगम मुख्यालय, भोपाल को भिजवाने पर कुल 08 अंक दिये जाएंगे। उक्त बैठकों के कार्यवृत्त बैठक आयोजन के 15 दिन के अंदर राजभाषा अनुभाग निगम मुख्यालय भोपाल के उपलब्ध कराने पर अधिकतम 04 अंक दिए जाएंगे। यदि बैठक का एक भी कार्यवृत्त समय से नहीं भेजा गया है तो शून्य अंक दिए जाएंगे।
07	तिमाही प्रगति रिपोर्ट पूरी सूचना सहित निर्धारित समय पर उपलब्ध कराना	08	प्रत्येक तिमाही में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित किए गए समय के अंदर तिमाही प्रगति रिपोर्ट पूरी सूचना सहित राजभाषा अनुभाग को उपलब्ध कराने वाले संबंधित परियोजना/कार्यालय को 08 अंक दिए जाएंगे। यदि ऐसा पाया जाता है कि कुछ तिमाही रिपोर्ट समयानुसार उपलब्ध कराई गई है तो उन पर तदनुसार अंक दिए जाएंगे। यदि कोई भी रिपोर्ट समय से नहीं भेजी गई है तो शून्य अंक दिए जाएंगे।
08	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की स्थिति (घ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर)	05	परियोजना/कार्यालय में जिन कार्मिकों को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होना अपेक्षित है, उनमें से जितने कार्मिकों को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, उसके आधार पर अंक दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए अपेक्षित शतप्रतिशत लक्ष्य की तुलना में यदि किसी कार्यालय के 80 प्रतिशत कार्मिकों को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है तो उसे 4 अंक दिए जाएंगे।
09	हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में सहभागिता	10	हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है जिनमें कार्मिक सहभागिता करते हैं। परियोजना/कार्यालय के कुल कार्मिकों की तुलना में हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कार्मिकों की संख्या के आधार पर प्राप्त प्रतिशत के अनुसार 10 में से अंक दिए जाएंगे।

			उदाहरण के लिए यदि किसी परियोजना/कार्यालय में कुल 100 कार्मिक हैं और उनमें से 20 कार्मिकों ने सहभागिता की है तो प्रतिशत 20 होगा और 2 अंक प्रदान किए जाएंगे।
10	द्विभाषी कम्प्यूटरों की उपलब्धता	10	परियोजना/कार्यालय में उपलब्ध कुल कम्प्यूटरों की तुलना में द्विभाषी कम्प्यूटरों की उपलब्धता के आधार पर अंक दिए जाएंगे, शतप्रतिशत द्विभाषी होने पर पूरे अंक दिए जाएंगे।
11	हिंदी पुस्तकों की खरीद	10	मानक, संदर्भ ग्रंथ तथा जर्नल्स को छोड़कर कुल खरीदी गई पुस्तकों में से 50 प्रतिशत हिंदी की पुस्तकें खरीदना अनिवार्य है। यदि 50 प्रतिशत से कम पुस्तकें खरीदी जाती है तो उनके प्रतिशत के अनुसार अंक दिए जाएंगे।
12 (क) (ख)	द्विभाषी रबर की मोहरें नामपट्ट	05 05	भारत सरकार द्वारा द्विभाषी रबर की मोहरें व नामपट्ट के लिए निर्धारित शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने यानी परियोजना/कार्यालय के उपयोग में काम आने वाली रबर की सभी मोहरें द्विभाषी होने पर 05 अंक मिलेंगें तथा नामपट्ट द्विभाषी होने पर 05 अंक मिलेंगे किन्तु इस नियम का जरा भी उल्लंघन होने पर पूरे अंक काट लिए जाएंगे।
13 (क) (ख)	टंकण आशुलिपि प्रशिक्षण	05 05	परियोजना/ कार्यालय में पदस्थ सभी आशुलिपिकों/सहायकों को टंकण/आशुलिपि का ज्ञान होना अपेक्षित है। अत: कुल पदस्थ उक्त कार्मिकों में से जितने कार्मिक प्रशिक्षित हैं, उसके आधार पर अंक दिए जाएंगे । उदाहरण के लिए अपेक्षित शत प्रतिशत लक्ष्य की तुलना में यदि 10 प्रतिशत कार्मिक दोनों में प्रशिक्षण के लिए शेष है तो 4.5-4.5 अंक दिए जाएंगे ।
14	मूल रूप से हिंदी में काम करने के लिए लागू प्रोत्साहन योजनाओं में भागीदारी	10	परियोजना/कार्यालय में पदस्थ कुल कार्मिकों की तुलना में जितने कार्मिक विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं में भाग लेंगे, उसके आधार पर अंक दिए जाएंगे ।
15	कार्यशालाओं में प्रतिभागिता	10	परियोजना/कार्यालय में पदस्थ कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कुल कार्मिकों की तुलना में वर्ष के दौरान जितने कार्मिकों को कार्यशालाओं में प्रशिक्षित किया गया है और उसकी फोटो सहित रिपोर्ट निगम मुख्यालय भिजवाने के आधार पर अंक दिए जाएंगे
16	हिंदी ज्ञान रोस्टर का अदतन किया जाना।	05	परियोजना/कार्यालय द्वारा हिंदी ज्ञान रोस्टर का अद्यतन करके 30 अप्रैल तक निगम मुख्यालय में प्रस्तुत किए जाने पर 05 अंक प्रदान किए जाएंगे। ऐसा न होने पर और गलत सूचना देने पर शून्य अंक प्रदान किए जाएंगे।

17	परियोजना/कार्यालय स्तर पर राजभाषा/ मा.संसा. विभाग द्वारा अधीनस्थ विभागों का आंतरिक निरीक्षण किया जाना।	05	परियोजना/कार्यालय स्तर पर राजभाषा/मानव संसाधन विभाग द्वारा वर्ष के दौरान अधीनस्थ कुछ विभागों की तुलना में जितने विभागों का राजभाषा निरीक्षण किया जाएगा उसके आधार पर अंक दिए जाएंगे।
18	विशेष उपलब्धियाँ	10	राजभाषा शील्ड मूल्यांकन प्रोफार्मा में दी गई सूचना के अतिरिक्त परियोजना/कार्यालय द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में अपने स्तर पर किए गए प्रयास यथा: -परियोजना/कार्यालय द्वारा अपने स्तर पर हिंदी संदर्भ साहित्य का प्रकाशन। -एनएचडीसी गृह पत्रिका तथा राजभाषा पत्रिका ‘आरोहण’ के लिए हिंदी में लेख भिजवाना। -क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय/न.रा.का.स. द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में सहभागिता व प्राप्त पुरस्कारों का उल्लेख। -हिंदी प्रश्नमंच तथा राजभाषा प्रगति संबंधी की जाने वाली अन्य प्रतियोगिताएं।
कुल अंक		**200**	

7.0 : पुरस्कार:

7.1 : इस योजना के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में परियोजनाओं/कार्यालयों के ‘क’‘ख’ तथा ‘ग’ क्षेत्र के कार्यालयों द्वारा हिंदी में किए गए कार्यालयीन कार्य की मात्रा के आधार पर अलग अलग प्रथम, द्वितीय पुरस्कार दिए जाएंगे।

7.2 : उपर्युक्त के अतिरिक्त लगातार तीन वर्ष तक प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला कार्यालय/ परियोजना यदि चौथे वर्ष भी प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसे ‘उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार’ की श्रेणी में रखा जाएगा।

7.3 : इस योजना के तहत परियोजना/कार्यालय मूल्यांकन मानदंड में दर्शाए गए आधार पर पुरस्कार पाने के पात्र होंगे। परियोजना/कार्यालय द्वारा हिंदी में किए गए कार्य का निर्धारित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन उपरांत निम्नानुसार राजभाषा चल वैजयंती (रनिंग शील्ड), प्रमाण पत्र/प्रशस्ति पत्र व नकद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाएगी:-

क्र.सं.	पुरस्कार	विवरण
01	उत्कृष्ट☆	राजभाषा शील्ड, 12,000/- रुपए का नकद पुरस्कार व प्रमाण पत्र
02	प्रथम	राजभाषा रनिंग शील्ड, 10,000/- रु. का नकद पुरस्कार व प्रमाणपत्र
03	द्वितीय	राजभाषा रनिंग शील्ड, 8,000/- रु. का नकद पुरस्कार व प्रमाणपत्र

☆**टीप -**उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार परियोजना/कार्यालय को लगातार 04 वर्ष प्रथम आने पर ही प्रदान किया जाएगा।

उपर्युक्त पुरस्कार मुख्य कार्यपालक निदेशक महोदय के कर-कमलों से संबंधित परियोजना/कार्यालय प्रमुख को निगम मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की विशेष बैठक/को-आर्डीनेशन कमेटी की बैठक में अथवा अलग से आयोजित समारोह में प्रदान किए जाएंगे।

8.0 : योजना का प्रबंधन:

8.1 : इस योजना का संचालन वार्षिक आधार पर राजभाषा अनुभाग, निगम मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।

8.2 : एनएचडीसी राजभाषा शील्ड योजना -02 में भाग लेने के इच्छुक परियोजना/कार्यालय विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में राजभाषा शील्ड संबंधी रिपोर्ट निर्धारित समय पर निगम मुख्यालय, राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराएंगे। उक्त रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के दौरान भेजी गई चारों तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर तैयार की जानी अपेक्षित है ताकि आवश्यकता पड़ने पर दी गई सूचना का सत्यापन किया जा सके।

8.3 : उक्त योजना के तहत प्राप्त प्रविष्टियों के संबंध में पुरस्कार का निर्णय करने के लिए मुख्य कार्यपालक निदेशक के अनुमोदन से एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में राजभाषा अनुभाग के प्रभारी अधिकारी तथा मानव संसाधन, वित्त विभाग एवं किसी तकनीकी विभाग से एक-एक अधिकारी शामिल होंगे। समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक/मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी होंगे तथा इसके सदस्य कम से कम वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के होंगे, तथापि अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर निर्णायक मण्डल के गठन में परिवर्तन भी किया जा सकता है। पुरस्कार के संबंध में मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा व पुरस्कार राशि का भुगतान राजभाषा विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किया जाएगा।

8.4 : परियोजना/कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान हिंदी में किए गए कार्य का रिकार्ड संलग्न मूल्यांकन प्रोफार्मा में प्रस्तुत किया जाएगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर पत्र में दिए गए समयानुसार वर्ष के दौरान हिंदी में किए गए कार्य का रिकार्ड निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित परियोजना/कार्यालय के हस्ताक्षर से राजभाषा अनुभाग, निगम मुख्यालय को भेजा जाएगा जहां मूल्यांकन समिति द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी तथा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा।

8.5 : यदि मूल्यांकन समिति चाहे तो राजभाषा शील्ड देने के संबंध में निर्णय लेने के लिए संबंधित परियोजना/कार्यालय में जाकर कार्य के रिकार्ड का वास्तविक निरीक्षण कर सकती है अथवा भेजे गए आंकड़ों की जांच के लिए परियोजना/कार्यालय से रिकार्ड मंगवा सकती है।

9.0 : सामान्य:

9.1 : निगम को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय बिना कारण बताए मुख्य कार्यपालक निदेशक के अनुमोदन से इस योजना में संशोधन/आशोधन कर सकता है या पूरी योजना को अथवा योजना के किसी अंश को समाप्त कर सकता है।

9.2 : एनएचडीसी राजभाषा शील्ड योजना 02 जनवरी, 2007 से प्रभावी है।

10 : हिंदी में प्रवीणताः

किसी कर्मचारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है, यदि उसने -

(1) मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उससे उच्चतम कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है, या

(2) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिंदी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था, या

(3) यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है।

11 : हिंदी का कार्यसाधक ज्ञानः

यह समझा जाएगा कि किसी कर्मचारी को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, यदि उसने

(1) मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य या उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है, या

(2) केन्द्रीय सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या

(4) यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

----------------xxx--------------------